

प्रस्ताव बावत् संक्षिप्त टीप

सामान्य वन मण्डल रायसेन में परिक्षेत्र पूर्व रायसेन, गढ़ी, पश्चिम सिलवानी एवं देवरी में मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु आवेदक विभाग SCO Reliance Jio Infocomm Ltd D.B. City MP Nagar Bhopal द्वारा आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक RF-183, RF-184, RF-125, RF-124, RF-123, RF-98, RF-115, RF-100, RF-103, PF-111, RF-380 में रकवा 0.8138 हेक्टेयर वन भूमि का चयन उदयपुरा-गैरतगंज एवं घाटपिपलिया-नकतरा मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु किया गया है। जिसका परिक्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है।

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की लम्बाई (मीटर में)	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
देवरी	RF-183	1322.00	0.50	0.0661
	RF-184	92.80	0.50	0.0046
योग		1414.80	0.50	0.0707
पश्चिम सिलवानी	RF-125	2259.00	0.50	0.1129
	RF-124	702.00	0.50	0.0351
	RF-123	2996.00	0.50	0.1498
योग		5957.00	0.50	0.2978
गढ़ी	RF-98	2066.00	0.50	0.1033
	RF-115	269.30	0.50	0.0134
	RF-100	2233.00	0.50	0.1116
	RF-103	3275.00	0.50	0.1637
	PF-111	914.00	0.50	0.0457
योग		8757.30	0.50	0.4377
पूर्व रायसेन	RF-380	150.00	0.50	0.0075
योग		150.00	0.50	0.0075
महायोग		16279.10	0.50	0.8138

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/ एफ-5-14/2005/10-3 दिनांक 30.07.2012 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण के संबंध में पंजीयन शुल्क 5000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 25000/- कुल राशि 30000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद में ऑनलाईन जमा कराया गया है जिसका यूटीआर क्रमांक MPT040619032019000016 दिनांक 19.03.2019 है। वन भूमि व्यपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन के प्रकरणों को एन.पी.व्ही. की राशि की वसूली से मुक्त रखा गया है। आवेदक विभाग द्वारा दूरस्थ ग्रामों एवं पंचायतों में जहाँ दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन रोड के किनारे (राइट ऑफ वे) के तहत डाली जावेगी जिस कारण किसी भी वृक्ष का काटे जाना प्रस्तावित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित स्थल के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आवेदित कक्ष क्रमांको से संबंधित वनक्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.7 तक है। प्रस्तावित क्षेत्र में वनों की ईको वेल्थ श्रेणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इस प्रकार वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत पूर्व रायसेन, गढ़ी, पश्चिम सिलवानी एवं देवरी के अंतर्गत उदयपुरा-गैरतगंज एवं घाटपिपलिया-नकतरा मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु वन क्षेत्र में कुल रकवा 0.8138 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया है। जो कि वन भूमि की मांग न्यूनतम है।


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल रायसेन